न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 171/2008

वाद दायरी दिनांक : 28/02/2008

निर्णय दिनांक : 07/2/18

1. भंवरलाल उर्फ भूरा पुत्र घीसा उम्र 64 साल, जाति जाट, निवासी मरवा, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
2. नौरतमल दत्तक पुत्र भैरू उम्र 40 वर्ष जाति जाट, निवासी मरवा, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
3. गोपाल पुत्र सुवा उम्र 30 वर्ष जाति जाट, निवासी मरवा, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

— वादीगण

बनाम

1. छोटु पुत्र स्व0 घीसा, उम्र 42 साल, जाति जाट, निवासी मरवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. सूरजकरण पुत्र छीतर उम्र 65 वर्ष जाति जाट, निवासी मरवा, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
3. जीवण पुत्र श्री सुवा उम्र 40 वर्ष जाति जाट, निवासी मरवा, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0 (मृतक)।

   3/1 भंवरी देवी पत्नि स्व0 जीवण जाति जाट निवासी मरवा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

   3/2 रामस्वरूप पुत्र स्व0 जीवण जाति जाट निवासी मरवा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

   3/3 नीराज पुत्री स्व0 जीवण जाति जाट निवासी मरवा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

   3/4 संतोष पुत्री स्व0 जीवण जाति जाट निवासी मरवा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।0

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

4. भागचंद उर्फ भागीरथ उम्र 42 वर्ष जाति जाट, निवासी मरवा, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
5. सोनी पुत्री सुवा उम्र 35 वर्ष जाति जाट, निवासी मरवा, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
6. रामा पुत्र सुवा उम्र 50 वर्ष जाति जाट, निवासी मरवा, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
7. अमरी पुत्री स्व0 भैरू उम्र वर्ष जाति जाट, निवासी मरवा, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
8. रतना पुत्र सूरजकरण उम्र 40 वर्ष जाति जाट, निवासी मरवा, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
9. भँवरलाल पुत्र नाथू उम्र 35 वर्ष जाति जाट, निवासी मरवा, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
10. अमरया पुत्र माधू उम्र 30 वर्ष जाति जाट, निवासी मरवा, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
11. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मरवा मरवा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
12. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति – **श्री हनुमानप्रसाद चौधरी**
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री भैरूलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल0 8 एवं
प्रतिवादी संख्या 9 व 10 स्वंय उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 11 फोरमल पक्षकार है एवं
प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

निर्णय दिनांक 7/2/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188

Scanned by CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण न.1 लगायत 8 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं.1 लगायत 8 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। जिनकी आराजीयात ग्राम मरवा, ग्राम पानवा कला तथा ग्राम मोरडा में स्थित है। जो ग्राम मरवा की आराजीयात वादपत्र के परिशिष्ट 'क' में दर्शायी गयी है तथा ग्राम पानवा कलां की आराजीयात वादपत्र के परिशिष्ट 'ख' में दर्शाई गई है तथा ग्राम मोरडा की आराजीयात वादपत्र के परिशिष्ट 'ग' में दर्शायी गयी है। जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है। परिशिष्ट 'क', 'ख', 'ग', की भूमि पक्षकारों की संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि रही है तथा कुछ जमीनें पक्षकारों ने सामूहिक (शामलाती) रहते हुए अलग से खरीदी है तथा सम्पूर्ण भूमि को अपने हिस्से के अनुसार बाँटकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। ग्राम मरवा की भूमि जो परिशिष्ट 'क' के खण्ड (अ) में खाता संख्या 144 के हाल ख. न. 972 रकबा 0.72 है0, ख.न. 973 रकबा 0.52 है0, ख.न. 974 रकबा 0.04 है0, ख.न. 975 रकबा 0.33 है0, ख.न. 976 रकबा 0.96 है0, ख.न. 977 रकबा 0.06 है0 गै.मु. चाह व ख.न. 978 रकबा 0.28 है0, ख.न. 979 रकबा 0.30 है0, ख.न. 984 रकबा 0.13 है0 कुल किता 9 रकबा 3.34 है0 जिसमें वादी नं. 1 छोटु का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी न. 2 का 1/3 हिस्सा, वादी न. 3 का व प्रतिवादी नं. 3, 4, व 5 फूंलादेवी का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 6 का 1/6 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी दर्ज है। 4.(ख) इसी प्रकार ग्राम मरवा की भूमि जो परिशिष्ट 'क' के खण्ड (ब) में हाल खाता संख्या 143 के हाल ख. न. 980 रकबा 0.87 है0 ख. न. 981 रकबा 0.05 है0 गै.मु. चाह कुल किता 2 रकबा 0.92 है0 जो वादी न. 1 व प्रतिवादीगण नं. 1 व 6 की संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। (क) इसी प्रकार ग्राम पानवा कलॉ की आराजीयात वाद पत्र के परिशिष्ट 'ख' के (अ) की भूमि खाता संख्या 59 हाल ख.न. 851 रकबा 0.04 है0, ख. न. 852 रकबा 0.08 है0 , ख.न. 853 रकबा 0.07 है0 ख.न. 854 रकबा 0.39 है0, ख.न. 855 रकबा 0.21 है0, ख.न. 856 रकबा 0.21 है0, ख.न. स 857 रकबा 0.28 है0, ख.न. 858 रकबा 0.45 है0, ख.न. 859 रकबा 0.39 है0 , ख. न. 860 रकबा 0.08 है0, ख.न. 861 रकबा 0.37 है0, ख.न. 862 रकबा 0.02 है0, ख.न. 863 रकबा 0.51 है0 कुल किता 13 रकबा 3.10 है0 भूमि वादी नं.3 व प्रतिवादी न. 3 व 4 का 1/2 हिस्सा व वादी न. 1 का 1/2 हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज है। 5. (ख) यह कि इसी प्रकार ग्राम पानवा कलॉ की भूमि वादपत्र के परिशिष्ट 'ख' के खण्ड

उपखण्ड अधिकारी दूदू

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

(ब) में दर्शायी गई भूमि खाता संख्या 120 के हाल ख.न. 410 रकबा 1.12 है0, ख.न. 723 रकबा 0.04 है0 गै.मु.चाह, ख.न. 724 रकबा 0.28 है0, ख.न. 725 रकबा 0.01 है0, ख.न. 726 रकबा 0.43 है0, ख.न. 741 रकबा 0.28 है0 कुल किता 6 रकबा 2.16 है0 भूमि वादी नं. 1 छोटु व प्रतिवादी नं. 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी न. 2 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी न. 7 का 1/6 हिस्सा, वादी नं. 3 व प्रतिवादी न. 3, 4 व 5 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी न. 6 का 1/6 हिस्से के अनुसार खातेदारी में दर्ज है। 5. (ग) यह कि इसी प्रकार ग्राम पानवा कलां की भूमि जो वादपत्र के परिशिष्ट 'ख' के खण्ड (स) में दर्शायी गई भूमि खाता संख्या 119 के हाल ख.न. 139 रकबा 0.08 है0 गै.मु. चाह ख.न. 141 रकबा 1.37 है0, ख.न. 830 रकबा 0.91 है0, ख.न. 831 रकबा 0.09 है0 गै.मु. चाह कुल किता 4 रकबा 2.45 है0 भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी न. 1 का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी न. 6 फूंलादेवी का 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदारी में दर्ज है। 5. (घ) यह कि इसी प्रकार ग्राम पानवा कलां की आराजीयात जो वाद पत्र के परिशिष्ट 'ख' के खण्ड (द) में दर्शायी गई खाता संख्या 100 के हाल ख.न. 140 रकबा 1.43 है0 वादी न. 2 के नाम से खातेदारी में दर्ज है। 5. (ड). यह कि इसी प्रकार ग्राम पानवा कलां की आराजीयात जो वाद पत्र के परिशिष्ट 'ख' के खण्ड (य) में दर्शायी गई भूमि खाता संख्या 128 के हाल ख.न 400 रकबा 4.17 है0 भूमि प्रतिवादी न. 9 व 10 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी न. 8 का 2/3 हिस्सा दर्ज है जो प्रतिवादी न. 8 के नाम से परिशिष्ट की शामलाती आय से कय की हुयी है। 6. यह कि इसी प्रकार ग्राम मोरडा की आराजीयात वाद पत्र के परिशिष्ट 'ग' के खण्ड (अ) में दर्शायी गयी है गत खाता संख्यचा 58 के ख.न. 453/2 रकबा 15 बीघा प्रतिवादी न. 3 के नाम से खातेदारी में दर्ज है जो परिवार की शामलाती आय से कय की गई आराजीयात है। चूंकि भूमि का अंतिम सैटलमेंट का पर्चा नही आया। इसलिए यह दावा पुराने ख.न. से किया जा रहा है। जिसका नये सैटलमेंट में जो ख.न. बनेंगे उसमें इंद्राज किया जावेगा। यह कि पक्षकारान हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा सम्वत् 2016 में अलग–अलग होकर मनबट के आधार पर उक्त ग्राम मरवा, पानवा कलॉ एवं मोरडा की आराजीयात को अपने हिस्से एवं सुविधा के अनुसार काश्त करने हेतू मौके पर विभाजन कर रखा है जो निम्न प्रकार से है। 7. यह कि वादी नं. 1 के हिस्से में परिशिष्ट (क) के खण्ड (अ) में ग्राम मरवा की खतौनी संख्या 140 के हाल ख.न 974 रकबा 0.04 है0 , ख.न 975 रकबा 0.33 है0, ख.न. 976 रकबा 0.96 है0, ख.न. 979

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

रकबा 0.30 है0 किता 4 रकबा 1.63 सम्पूर्ण व ख.न. 977 रकबा 0.06 में 1/2 हिस्सा तथा वाद पत्र के परिशिष्ट 'क' के खण्ड (ब) में वर्णित ग्राम मरवा के खण्ड (ब) में खाता संख्या 143 के ख.न. 980 रकबा 0.87 है0 व ख.न 981 रकबा 0.05 है0 में 1/2 हिस्सा एवम् परिशिष्ट 'ख' ग्राम पानवा कलां खण्ड (ब) खाता संख्या 120 के ख.न. 410 रकबा 1.12 है0 में 1/2 हिस्सा आयी है। इसी अनुसार वादी न. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तकासमा किया जावे तथा लगान अलग–अलग कायम किया जावें जो वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शाया गया है। (ख) यह कि वादी न. 2 नौरत के हिस्से में परिशिष्ट 'ख' ग्राम पानवा कलां के खाता संख्या 19 के ख.न 141 रकबा 1.37 है0 में से 0.17 है0 तथा ख.न. 139 रकबा 0.08 है0 गै.मु.चाह में 1/2 हिस्सा जो वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में काले रंग से दर्शाया गया है। नौरत के शेष हिस्से की भूमि उसकी पत्नी ऑची देवी के नाम से हमने पूर्व में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवा दिया। इसलिए वादी नं. 2 के हिस्से में कम भूमि आयी है। 7. (ग) यह कि इसी प्रकार वादी न. 3 गोपाल के परिशिष्ट 'ख' ग्राम पानवां कलां के खाता संख्या 59 के ख. न 854 रकबा 0.39 है0, ख.न 857 रकबा 0.28 है0, ख.न. 858 रकबा 0.45 है0, ख.न. 861 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 रकबा 1.49 है.0 में से 1/3 हिस्सा एवम् ख.न. 860 रकबा 0.08 है0 गै.मु.चाह में 1/6 हिस्सा । इसी प्रकार वाद पत्र के परिशिष्ट स' ख' के खण्ड (स) में खाता संख्या 119 के ख.न. 830 रकबा 0.91 है0 में से 1/4 हिस्सा एवं ख.न. 832 रकबा 0.09 है0 गै. मु चाह में 1/4 इसी प्रकार वाद पत्र के परिशिष्ट 'ख' के खण्ड (य) के ख.न 400 रकबा 4.17 है0 में 1/6 हिस्सा जिसको वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में नांरगी डोटेड व बैंगनी डोटेड रंग से दर्शाया गया है। उसी अनुसार वादी न. 3 का कब्जा काश्त है। उसी अनुसार खातेदार घोषित कर तकासमा किया जावें। 8. यह कि इसी प्रकार प्रतिवादीगण के हिस्से मे पक्षकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार विभाजन कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। 8. (क) यह कि प्रतिवादीगण न. 1 छोटू के हिस्से में परिशिष्ट "ख" के खण्ड (अ) में ग्राम पानवा कलां के खाता संख्या 59 के ख.न. 851 रकबा 0.04 है0 , ख.न 852 रकबा 0.08 है0, ख.न 853 रकबा 0.07 है0, ख.न 855 रकबा 0.21 है0, ख.न 856 रकबा 0.21 है0, ख.न. 859 रकबा 0.39 है0 ख.न 862 रकबा 0.02 है0 ख.न 863 रकबा 0.51 है0 कुल किता 8 रकबा 1.53 है0 सम्पूर्ण एवम् ख.न. 860 रकबा 0.08 है0 गै.मु.चाह में 1/2 हिस्सा एवम् परिशिष्ट "ख" के खण्ड (ग) के

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

खाता संख्या 119 के ख. न. 830 रकबा 0.91 है0, ख.न 832 रकबा 0.09 है0 गै. मु. चाह में 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादी न. 1 के हिस्से को वाद–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है। उसी अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर तकासमा किया जावे। 8.(ख) यह कि प्रतिवादीगण न. 2 सूरजकरण का वाद पत्र के परिशिष्ट ''क'' ग्राम मरवा के खण्ड (अ) में खाता संख्या 140 के ख.न. 972 रकबा 0.72 है0, ख.न 973 रकबा 0.52 है0, ख.न 978 रकबा 0.28 है0 ख.न. 984 रकबा 1.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.65 है0 सम्पूर्ण व ख.न 977 रकबा 0.06 है0 गै.मु.चाह में 1/2 हिस्सा एवम् परिशिष्ट ''क'' के खण्ड (ब) ग्राम मरवा के खाता संख्या 143 के ख.न. 980 रकबा 0.87 रकबा 0.87 है0, ख.न. 981 रकबा 0.05 है0 गै.मु.चाह में 1/2 हिस्सा एवम् परिशिष्ट ''क'' के खण्ड ब ग्राम मरवा के खाता संख्या 143 के ख.न. 980 रकबा 0.87 है0 व ख.न. 981 रकबा 0.05 है0 गे.मु.चाह में 1/2 हिस्सा एवम् परिशिष्ट ''ख'' के खण्ड (ब) ग्राम पानवा कलां के खाता संख्या 120 के ख.न. 410 रकबा 1.12 है0 में 1/2 हिस्सा व ख.न 723 रकबा 0.04 है0 गै. मु.चाह में 1/2 हिस्सा एवम् ख.न. 726 रकबा 0.43 है0 संपूर्ण। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख' के खण्ड से के खाता संख्या 119 के ख.न 141 रकबा 1.37 है0 में से 0.50 है0 हिस्से में आयी है। जो वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में हरे रंग से दर्शाया गया है। उसी अनुसार खातेदारी घोषित किया जाकर तकासमा किया जावे तथा लगान अलग से कायम किया जावें। 8. (ग) यह कि इसी प्रकार प्रतिवादी न. 3 जीवण के परिशिष्ट ''ख'' के खण्ड अ ग्राम पानवां कलां के खाता संख्या 59 के ख. न. 854 रकबा 0.39 है0, ख.न. 857 रकबा 0.28 है0, ख.न. 858 रकबा 0.45 है0 ख.न 861 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 रकबा 1.49 है0 में से 1/3 हिस्सा तथा ख.न 860 रकबा 0.08 है0, गै, मु. चाह में 1/6 इसी प्रकार वाद पत्र के परिशिष्ट ''ग'' ग्राम मोरडा के ख.न. 453/2 रकबा 15 बीघा में 1/3 हिस्सा जो संलग्न नजरी नक्शें में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है तथा बैंगनी रंग से दर्शाया गया है उसी अनुसार खातेदार घोषित किया जावें तथा उसी अनुसार तकासमा किया जाकर लगान अलग कायम किया जावें। 8. (घ) यह कि प्रतिवादी न. 4 भागचन्द उर्फ भागीरथ के हिस्से में परिशिष्ट ''ख'' के खण्ड (अ) में खाता संख्या 59 कें ख.न. 854 रकबा 0.39 है0, ख.न 857 रकबा 0.28 है0 ख.न. 858 रकबा 0.45 है0, ख.न. 861 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.49 है0 में से 1/3 हिस्सा तथा ख.न. 860 रकबा 0.08 है0 गै.मु.चाह में 1/6 हिस्सा। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' के खण्ड

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

(ल) मे खाता संख्या 119 कें ख.न 830 रकबा 0.91 है0 ख.न. 832 रकबा 0.09 है0 गै.मु चाह में 1/4 हिस्सा इसी प्रकार वाद पत्र के परिशिष्ट ''ख'' के खण्ड य के खाता संख्या 128 के ख.न 400 रकबा 4.17 है0 में से 1/6 हिस्सा आया है जो वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में नारंगी व बैंगनी रंग से डोट से दर्शाया गया है। उसी अनुसार खातेदार घोषित किया जावें तथा तकासमा किया जाकर अलग लगान कायम किया जावें। 8. (ड) यह कि इसी प्रकार प्रतिवादी न. 6 रामा का वादपत्र के परिशिष्ट ''ख'' के खण्ड (ब) में खाता संख्या 120 के ख.न 724 रकबा 0.28 है0, ख.न 741 रकबा 0.28 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 है0 सम्पूर्ण तथा ख.न 723 रकबा 0.04 है0 गै.मु. चाह में 1/2 हिस्सा इसी प्रकार वाद पत्र में परिशिष्ट ''ख' के खण्ड (स) के खाता संख्या 119 के ख.न 141 रकबा 1.37 है0 में से 0.70 है0 व ख.न 139 रकबा 0.08 है0 गै.मु.चाह में 1/2 हिस्सा व वाद पत्र के परिशिष्ट ''ख'' के खण्ड (द) में खाता संख्या 100 के ख.न 140 रकबा 1.43 है0 सम्पूर्ण जो वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। उसी अनुसार खातेदार घोषित किया जावें तथा तकासमा किया जाकर लगान अलग सो कायम किया जावें। 8. (च) यह कि इसी प्रकार प्रतिवादी न. 8 रतना का वाद पत्र के परिशिष्ट ''ख'' के खण्ड (य) में खाता संख्या 128 के ख. न. 400 रकबा 4.17 है0 में 1/3 हिस्सा जो वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में बैंगनी रंग से लाइनों से दर्शाया गया है। उसी के अनुसार तकासमा किया जाकर लगान अलग कायाम किया जावें। 9. यह कि प्रतिवादी न.9 व 10 वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 8 के परिवार के नहीं होकर अन्य खातेदार है। जिनका वाद–पत्र के परिशिष्ट ''ख'' के खण्ड य में खाता संख्या 128 कें ख.न. 400 रकबा 4.17 है0 में 1/3 हिस्सा है जो वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में केसरिया रंग की चौकडियों से दर्शाया गया है। उसी अनुसार तकासमा किया जाकर लगान अलग कायम किया जावें। चूंकि अब जमीनों के भाव बढने के कारण प्रतिवादी न. 1 व 2 ने वादीगण व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 8 के बीच पूर्व में हुए पारिवारिक समझौते व बंटवारे के अनुसार जो भूमि पक्षकारों के हिस्से में आयी है, उसके लिए दिनांक 23/10/2007 को मना कर दिया तथा उसके पश्चात वादीगण ने जिस प्रकार से पूर्ववत काबिज है उसी अनुसार रिश्तेदारों व गांव के मौजिज व्यक्तियों के बीच में घोषणा व तकासमा करवाने के लिए दिनांक 26/1/2008 को कहा तो पहले तो प्रतिवादी न. 1 व 2 पूर्ववत् कब्जे के अनुसार घोषणा व तकासमा करवाने के लिए

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

मान गए परन्तु फिर दिनांक 10/2/2008 को प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। इस कारण वादीगण को अपने अधिकारों की घोषणा एवं तकासमा हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ ।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी इस अमर फरमाई जावें कि (क) यह कि वाद पत्र के मद न. 7 व 8 में वर्णितानुसार आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। (ख) यह कि वाद पत्र के मद न. 7 व 8 में वर्णित अनुसार आराजीयात का तकासमा किया जाकर लगान अलग अलग कायत किया जावें। (ग) यह कि प्रतिवादीगण न.1 लगायत 10 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी में आयी पृथक आराजीयात में किसी प्रकार की मजाहमत, दखन्दाजी न स्वयं करें, न ही अन्य दीगर व्यक्ति, एजेन्ट से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 27/08/2008 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से श्री भैरूलाल शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालत नामा पेश किया वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दिवानी पेश किया वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, दिनांक 07/10/2009 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दिवानी पेश किया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिवक्ता वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। दिनांक 22/12/2014 को कायम मुकाम संख्या 3/2 की ओर से श्री राजेन्द्र गुर्जर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालत नामा पेश किया जो शामिल फाईल किया गया।

दिनांक 13/5/2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ममांणा में पेश हुई वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3/1 लगायत 3/4 की और से राजीनामा पेश हुआ, जो बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किया गया। दिनांक 02/01/2017 को प्रतिवादी 9 व 10 स्वंय उपस्थित होकर वाद में सहमति प्रदान की एवं जवाब पेश न कर तकासमा हेतु सहमति प्रदान की। प्रतिवादी संख्या 11 फोर्मल पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक होकर शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

विद्वान अधिवक्ता वादी एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा के अनुसार वादी का वाद डिक्री कर दिया जावें, जिसमें पक्षकारान को कोई आपत्ति नही हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी ग्राम मरवा सम्वत् 2059 किता 2, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2064, नकल नक्शा ट्रेश , नकल जमाबंदी ग्राम पानवाकलां किता 5 सम्वत 2064–2067, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम पानवा कलां सम्वत् 2064–2067 किता 3, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम पानवा कला, नकल जमाबन्दी ग्राम मोरडा सम्वत् 2049–2052, नकल खसरा गिरदावरी 2061–2064, नकल नक्शा ट्रेस तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2063 के खाता संख्या 144,143 वाके ग्राम मरवा, नकल जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 के खाता संख्या 59,100,119,120,128 वाके ग्राम पानवा कला, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2049 से 2052 खाता संख्या 57 वाके ग्राम मोरडा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु हो चुकी है जिसके स्थान पर उसके कायम मुकाम संख्या 3/1 लगायत 3/4 रिकार्ड पर है तथा वाद ग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात है। वादी ने अपने वाद में वाद पत्र के पैरा संख्या 7 व 8 में वर्णित अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर तकासमा का अनुतोष चाहा है जिस बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 3/1 लगायत 3/4 ने राजीनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार कर वाद में चाहे अनुतोष अनुसार डिक्री किए जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 स्वंय ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर कर तकासमा हेतु सहमति प्रदान की है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा आराजीयात कानूनी रूप से अविभाजित आराजीयात है, जिसको पक्षकारान ने अपने मनबंट अनुसार बांट रखा है तथा अब इसी अनुसार घोषणा करवाकर विभाजन करवाना चाहा है तथा पक्षकारान में आपस में राजीनामा भी हो

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

चुका है, ऐसी स्थिति में वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मरवा, पानवाकलां एवं मारेडा, तहसील दूदू के बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 को निम्न प्रकार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

<u>वादी नं. 1 के हिस्से में</u> :– ग्राम मरवा की खतौनी संख्या 144 के हाल ख.न 974 रकबा 0.04 है0, ख.न 975 रकबा 0.33 है0, ख.न. 976 रकबा 0.96 है0, ख.न. 979 रकबा 0.30 है0 किता 4 रकबा 1.63 सम्पूर्ण व ख.न. 977 रकबा 0.06 में 1/2 हिस्सा, ग्राम मरवा के खाता संख्या 143 के ख.न. 980 रकबा 0.87 है0, ख.न 981 रकबा 0.05 है0 में 1/2 हिस्सा, ग्राम पानवाकलां, खाता संख्या 120 के ख.न. 410 रकबा 1.12 है0 में 1/2 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

<u>वादी न. 2 नौरत के हिस्से में</u> :– ग्राम पानवा कलां के खाता संख्या 19 के ख.न 141 रकबा 1.37 है0 में से 0.17 है0 तथा ख.न. 139 रकबा 0.08 है0 गै.मु.चाह में 1/2 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

<u>वादी न. 3 गोपाल</u> के हिस्से में :– ग्राम पानवां कलां के खाता संख्या 59 के ख.न. 854 रकबा 0.39 है0, ख.न 857 रकबा 0.28 है0, ख.न. 858 रकबा 0.45 है0, ख.न. 861 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 रकबा 1.49 है. में से 1/3 हिस्सा एवम् ख.न.860 रकबा 0.08 है0 गै.मु.चाह में 1/6 हिस्सा अनुसार, खाता संख्या 119 के ख.न. 830 रकबा 0.91 है0 में से 1/4 हिस्सा, ख.न. 832 रकबा 0.09 है0 गै. मु चाह में हिस्सा 1/4, ख.न 400 रकबा 4.17 है0 में हिस्सा 1/6 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

<u>प्रतिवादी नं. 1 छोटू के हिस्से में</u> :– ग्राम पानवाकलां के खाता संख्या 59 के ख.न. 851 रकबा 0.04 है0, ख.न 852 रकबा 0.08 है0, ख.न 853 रकबा 0.07 है0, ख.न 855 रकबा 0.21 है0, ख.न 856 रकबा 0.21 है0, ख.न. 859 रकबा 0.39 है0 ख.न 862 रकबा 0.02 है0 ख.न 863 रकबा 0.51 है0 कुल किता 8 रकबा 1.53 है0 सम्पूर्ण एवम् ख.न. 860 रकबा 0.08 है0 गै.मु.चाह में 1/2 हिस्स एवम् खाता संख्या 119 के ख.न. 830 रकबा 0.91 है0, ख.न 832 रकबा 0.09 है0 गै. मु. चाह में 1/2 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उपखण्ड अधिकारी दूदू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी नं. 2 सूरजकरण के हिस्से में खाता संख्या 140 के ख.न. 972 रकबा 0.72 है0, ख.न 973 रकबा 0.52 है0, ख.न 978 रकबा 0.28 है0 ख.न. 984 रकबा 1.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.65 है0 सम्पूर्ण व ख.न 977 रकबा 0.06 है0 गै.मु.चाह में 1/2 हिस्सा एवम् खाता संख्या 143 के ख.न. 980 रकबा 0.87 है0, ख.न. 981 रकबा 0.05 है0 गै.मु.चाह में 1/2 हिस्सा एवम् ग्राम पानवा कलां के खाता संख्या 120 के ख.न. 410 रकबा 1.12 है0 में 1/2 हिस्सा व ख.न 723 रकबा 0.04 है0 गै.मु.चाह में 1/2 हिस्सा एवम् ख.न.725 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 726 रकबा 0.43 है0 संपूर्ण, खाता संख्या 119 के ख.न. 141 रकबा 1.37 है0 में से 0.50 है0 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

प्रतिवादी नं. 3 जीवण के हिस्से में :– ग्राम पानवां कलां के खाता संख्या 59 के ख.न. 854 रकबा 0.39 है0, ख.न. 857 रकबा 0.28 है0, ख.न. 858 रकबा 0.45 है0 ख.न 861 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 रकबा 1.49 है0 में से 1/3 हिस्सा तथा ख.न. 860 रकबा 0.08 है0, गै, मु. चाह में 1/6 हिस्सा, ख.न. 453/2 रकबा 15 बीघा में 1/3 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

प्रतिवादी न. 4 भागचन्द उर्फ भागीरथ के हिस्से में :– खाता संख्या 59 के ख.न. 854 रकबा 0.39 है0, ख.न 857 रकबा 0.28 है0 ख.न. 858 रकबा 0.45 है0, ख.न. 861 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.49 है0 में से 1/3 हिस्सा तथा ख.न. 860 रकबा 0.08 है0 गै.मु.चाह में 1/6 हिस्सा। खाता संख्या 119 कें ख.न 830 रकबा 0.91 है0 ख.न. 832 रकबा 0.09 है0 गै.मु चाह में 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 128 के ख.न 400 रकबा 4.17 है0 में 1/6 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

प्रतिवादी न. 6 रामा के हिस्से में :– खाता संख्या 120 के ख.न 724 रकबा 0.28 है0, ख.न 741 रकबा 0.28 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 है0 सम्पूर्ण तथा ख.न 723 रकबा 0.04 है0 गै.मु. चाह में 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 119 के ख.न 141 रकबा 1.37 है0 में से 0.70 है0 व ख.न 139 रकबा 0.08 है0 गै.मु.चाह में 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 100 के ख.न 140 रकबा 1.43 है0 सम्पूर्ण के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

प्रतिवादी संख्या 8 रतना के हिस्से में :– खाता संख्या 128 के ख. न. 400 रकबा 4.17 है0 में 1/3 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

प्रतिवादी न.9 व 10 के हिस्से में खाता संख्या 128 कें ख.न. 400 रकबा 4.17 है0 में 1/3 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

इसी घोषित हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य तकासमा किया जाता है तथा तहसीलदार दूदू को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय एवं डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 7/2/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी मुद्रा सत्यमेव जयते दूदू जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
दूदू

नोट:- आदेश दिनांक 14/3/2018 के अनुसार निर्णय दिनांक 07/2/2018 के पेज सं0 2 में दर्ज प्रतिवादी सं0 6 के पिता भुरा के स्थान पर धीसा पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

नोट:- आदेश दिनांक 03/7/18 के अनुसार निर्णय दि0 7/2/2018 में पेज संख्या 453/2 रकबा 15 बीघा में प्रतिवादी संख्या 2 पुरणमल पुत्र छीतर को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं निर्णय के पृष्ठ सं0 11 की पंक्ति सं0 9 के आगे खसरा नम्बर 453/2 रकबा 15 बीघा में हिस्सा 2/3 पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31'12

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुकाम दूदू
श्री त्रिलोकचन्द मीणा (R.A.S.)

[illegible] भंवरलाल उर्फ पूरा पुत्र धीसा [illegible] मोहनलाल पुत्र भैरु [illegible] गोपाल पुत्र भुवा जाट [illegible] नि. मरवा बनाम 1. छोटू पुत्र धीसा 2. सुरजकरण पुत्र छीतर 3. जीवण पुत्र भुवा 3/1 भंवरीदेवी w/o जीवण जाट व अन्य 12 नि.

दावा बावत घोषणा, तकसीम आदि

मुकदमा न. 171/2008 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हनुमान प्रसाद चौधरी एड०

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री भैरुलाल शर्मा एड०

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पानवांडला एवं मोरडा तहसील दूदू के बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 को निम्न प्रकार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:—

वादी नं. 1 के हिस्से में :- ग्राम मरवा की खतौनी संख्या 144 के ख.न. 974 रकबा 0.04 हे०, ख.न. 975 रकबा 0.33 हे०, ख.न. 976 रकबा 0.96 हे०, ख.न. 979 रकबा 0.30 हे०, किता 4 रकबा 1.63 हे० सम्पूर्ण व ख.न. 977 रकबा 0.06 में 1/2 हिस्सा, =

निज ... मुबलिग ... बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ... फीसदी ... आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक ... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 - 02 - 2017 माह सन् को

जारी की गई

मुहर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, दूदू, जिला जयपुर — सत्यमेव जयते)

दस्तखत [signature]
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

नोट:- आदेश दि० 3/18 के अनुसार डिक्री दि० 7/4/18 में खसरा नम्बर 453/2 रकबा 15 बीघा में प्रतिवादी नं० 2 सुरजकरण पुत्र छीतर को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं डिक्री के पृष्ठ सं० 3 की पंक्ति सं० 13 के आगे "खसरा नम्बर 453/2 रकबा 15 बीघा पढ़ा जावे।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी दूदू — सत्यमेव जयते)

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

२. ग्राम मरवा के खाता संख्या 143 के ख.न. 980 रकबा 0.87 है०, ख.न. 981 रकबा 0.05 है० में 1/2 हिस्सा, ग्राम पानवां कलां खाता संख्या 120 के ख.न. 410 रकबा 1.12 है० में 1/2 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वादी नं. 2 नौरत के हिस्से में :- ग्राम पानवां कलां के खाता संख्या 19 के ख.न. 141 रकबा 1.37 है० में से 0.17 है०, व ख.न. 139 रकबा 0.08 है०, जे० कु० चाह में 1/2 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वादी नं. 3 गोपाल के हिस्से मे :- ग्राम पानवां कलां के खाता संख्या 59 के ख.न. 854 रकबा 0.39 है०, ख.न. 857 रकबा 0.28 है०, ख.न. 858 रकबा 0.45 है०, ख.न. 861 रकबा 0.37 है० कुल किता-4 रकबा 1.49 है० मे से 1/3 हिस्सा एवं ख.न. 860 रकबा 0.08 है० जे० कु० चाह मे 1/6 हिस्सा अनुसार खाता संख्या 119 के ख.न 830 रकबा 0.91 है०, मे से 1/4 हिस्सा, ख.न. 832 रकबा 0.09 है०, जे० कु. चाह मे हिस्सा 1/4 ख.न. 400 रकबा 4.17 है० मे हिस्सा 1/6 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 छोटु के हिस्से मे :- ग्राम पानवां कलां के खाता संख्या 59 के ख.न. 851 रकबा 0.04 है०, ख.न. 852 रकबा 0.08 है०, ख.न. 853 रकबा 0.07 है०, ख.न. 855 रकबा 0.21 है०, ख.न. 856 रकबा 0.21 है०, ख.न. 859 रकबा 0.39 है०, ख.न. 862 रकबा 0.02 है०, ख.न. 863 रकबा 0.51 है०, कुल किता 8 रकबा 1.53 है० सम्पूर्ण * एवं ख.न. 860 रकबा 0.08 है० जे० कु० चाह में 1/2 हिस्सा एवं खाता संख्या 119 के ख.न 830 रकबा 0.91 है०, ख.न. 832 रकबा 0.09 है० जे० कु० चाह मे 1/2 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

(Seal: उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर, सत्यमेव जयते)

Scanned by CamScanner

* खाता संख्या 128 के ख.न. 400 रकबा 4.17 हे0 मे 1/6 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी नं. 6 रामा के हिस्से मे :- खाता संख्या 120 के ख.नं. 724 रकबा 0.28 हे0, ख.न. 741 रकबा 0.28 हे0 कुल किता-2 कुल रकबा 0.56 हे0 सम्पूर्ण व खसरा ख.न 723 रकबा 0.04 हे0 गै0मु.चाह मे 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 119 के ख.नं. 141 रकबा 1.37 हे0 मे से 0.70 हे0, व ख.न. 139 रकबा 0.08 हे0 गै0मु0-चाह मे 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 100 के ख.न 140 रकबा 1.43 हे0 सम्पूर्ण के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 8 रतना के हिस्से में :- खाता सं0 128 के ख.न. 400 रकबा 4.17 हे0 में 1/3 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

प्रतिवादी नं. 9 व 10 के हिस्से में खाता संख्या 128 के ख.न. 400 रकबा 4.17 हे0 मे 1/3 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते दूदू जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

प्रतिवादी सं 2 पुरुषोत्तम के हिस्से में खाता संख्या 140 के ख.नं. 972 रकबा 0.72 है0, ख.नं. 973 रकबा 0.52 है0, ख.नं. 978 रकबा 0.28 है0, ख.नं. 984 रकबा 1.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.65 है0, सम्पूर्ण व ख.नं. 977 रकबा 0.06 है0, गै0मु0 चाह में 1/2 हिस्सा एवं खाता संख्या 143 के ख.नं. 980 रकबा 0.87 है0, ख.नं. 981 रकबा 0.05 है0, गै0मु0 चाह में 1/2 हिस्सा एवं ग्राम पानवां कलां के खाता संख्या 120 के ख.नं. 410 रकबा 1.12 है0 में 1/2 हिस्सा व ख.नं. 723 रकबा 0.04 है0 गै0मु0 चाह में 1/2 हिस्सा एवं ख.नं. 725 रकबा 0.01 है0 व ख.नं. 726 रकबा 0.43 है0, सम्पूर्ण खाता संख्या 119 के ख.नं. 141 रकबा 1.37 है0 में से 0.50 है0 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी नं. 3 जीवण के हिस्से में :- ग्राम पानवां कलां के खाता संख्या 59 के ख.नं. 854 रकबा 0.39 है0, ख.नं. 857 रकबा 0.28 है0, ख.नं. 858 रकबा 0.45 है0, ख.नं. 861 रकबा 0.37 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.49 है0 में से 1/3 हिस्सा तथा ख.नं. 860 रकबा 0.08 है0 गै.मु.चाह में 1/6 हिस्सा ख.नं. 453/2 रकबा 15 बीघा में 1/3 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी नं. 4 भागचन्द उर्फ भगीरथ के हिस्से में :- खाता संख्या 59 के ख.नं. 854 रकबा 0.39 है0, ख.नं. 857 रकबा 0.28 है0, ख.नं. 858 रकबा 0.45 है0, ख.नं. 861 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.49 है0 में से 1/3 हिस्सा तथा ख.नं. 860 रकबा 0.08 है0 गै0मु0 चाह में 1/6 हिस्सा। खाता संख्या 119 के ख.नं. 830 रकबा 0.91 है0, ख.नं. 832 रकबा 0.09 है0 गै0मु0 चाह में 1/4 हिस्सा ER

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
दूदू जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू